संख्या-579/2024/634पी/24-27-सिं0-04/001-58(डब्ल्यू)/2008

प्रेषक,

**अमित प्रणव,**
**संयुक्त सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

**सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4** **लखनऊ: दिनांक: 25 सितम्बर, 2024**

**विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-2131/आई0बी0/टी0 एण्ड पी0/2024-25, दिनांक 06.08.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2024-25** में लेखा शीर्षक **4700** के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 **2000.00** लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से रू0 **680.54** लाख एवं लेखा शीर्षक **4701** के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 **2000.00** लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से रू0 **488.50** लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 **1169.04** लाख (रूपये ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(धनराशि लाख रू0 में)**

| **क्र0 सं0** | **संगठन का नाम** | **प्रस्तावित धनराशि** |
|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** |
| 4700-80-052-07-0703-12 **(नवीन सम्पूर्ति)** | | |
| 1. | अपरमुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी | 92.00 |
| 2. | मुख्यअभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद | 10.00 |
| 3. | मुख्यअभियन्ता (गंगा) मेरठ | 40.00 |
| 4. | मुख्यअभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ | 20.00 |
| 5. | मुख्य अभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर | 15.00 |
| 6. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 4.00 |
| 7. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 10.00 |
| | **कुलयोग(4700-03-12)** | **191.00** |
| 4700-80-052-07-0703-26 **(नवीन सम्पूर्ति)** | | |
| 8. | मुख्यअभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद | 27.00 |
| 9. | मुख्यअभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर | 27.00 |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 10. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 24.00 |
| 11. | मुख्यअभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ | 42.00 |
| 12. | मुख्यअभियन्ता (परिकल्प) लखनऊ | 10.00 |
| 13. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 8.00 |
| 14. | मुख्य अभियन्ता (सरयू-1) अयोध्या | 20.00 |
| | **कुलयोग(4700-03-26)** | **158.00** |
| 4700-80-052-07-0704-12 **(मरम्मत)** | | |
| 15. | अपरमुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी | 12.00 |
| 16. | मुख्यअभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद | 2.32 |
| 17. | मुख्यअभियन्ता (गंगा) मेरठ | 12.00 |
| 18. | मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ | 18.00 |
| 19. | मुख्यअभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज | 16.22 |
| 20. | नलकूपपूर्व, अयोध्या | 5.00 |
| 21. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 8.00 |
| | **कुलयोग(4700-04-12)** | **73.54** |
| 4700-80-052-07-0704-26 **(मरम्मत)** | | |
| 22. | मुख्यअभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद | 4.00 |
| 23. | मुख्यअभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर | 1.00 |
| 24. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 8.00 |
| 25. | मुख्यअभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ | 10.00 |
| 26. | मुख्यअभियन्ता (परिकल्प)लखनऊ | 5.00 |
| 27. | नलकूपपूर्व, अयोध्या | 50.00 |
| 28. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 10.00 |
| 29. | मुख्य अभियन्ता (सरयू-1) अयोध्या | 25.00 |
| | **कुलयोग(4700-04-26)** | **113.00** |
| 4700-80-052-07-0705-12 **(गाडी भाड़ा)** | | |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 30. | अपरमुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी | 36.00 |
| 31. | मुख्यअभियन्ता (गंगा) मेरठ | 5.00 |
| 32. | मुख्यअभियन्ता (पूर्वीगंगा) मुरादाबाद | 14.00 |
| 33. | मुख्यअभियन्ता (गण्डक) गोरखपुर | 5.00 |
| 34. | मुख्यअभियन्ता (मध्यगंगा) अलीगढ़ | 10.00 |
| 35. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 2.00 |
| | **कुलयोग(4700-05-12)** | **72.00** |
| 4700-80-052-07-0705-26 **(गाडीभाड़ा)** | | |
| 36. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 5.00 |
| 37. | मुख्यअभियन्ता (परिकल्प)लखनऊ | 4.00 |
| 38. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 2.00 |
| 39. | मुख्य अभियन्ता (सरयू-1) अयोध्या | 62.00 |
| | **कुलयोग(4700-05-26)** | **73.00** |
| | **कुलयोग 4700** | **680.54** |
| 4701-80-052-03-12 **(नवीन सम्पूर्ति)** | | |
| 40. | अपरमुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण) झांसी | 23.00 |
| 41. | मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी | 43.00 |
| 42. | मुख्यअभियन्ता (परिकल्प)लखनऊ | 250.00 |
| 43. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 5.00 |
| | **कुलयोग(4701-03-12)** | **321.00** |
| 4701-80-052-03-26 **(नवीन सम्पूर्ति)** | | |
| | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 8.00 |
| | **कुलयोग(4701-03-26)** | **8.00** |

| | | |
|---|---|---|
| 4701-80-052-04-12 **(मरम्मत)** | | |
| 45. | मुख्य अभियन्ता (बेतवा) झांसी | 26.50 |
| 46. | नलकूपपूर्व, अयोध्या | 8.00 |
| 47. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 8.00 |
| | **कुलयोग(4701-04-12)** | **42.50** |

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

| | | |
|---|---|---|
| 4701-80-052-04-26 (मरम्मत) | | |
| 48. | नलकूपपूर्व, अयोध्या | 50.00 |
| 49. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 10.00 |
| | **कुलयोग(4701-04-26)** | **60.00** |
| 4701-80-052-05-12 **(गाड़ी भाड़ा)** | | |
| 50. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 26.00 |
| 51. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 4.00 |
| 52. | मुख्यअभियन्ता (सरयू-1) अयोध्या | 5.00 |
| | **कुलयोग(4701-05-12)** | **35.00** |
| 4701-80-052-05-26 **(गाड़ी भाड़ा)** | | |
| 53. | मुख्यअभियन्ता (बेतवा) झांसी | 15.00 |
| 54. | नलकूपपूर्व, अयोध्या | 3.00 |
| 55. | मुख्यअभियन्ता (नलकूप दक्षिण) कानपुर | 4.00 |
| | **कुलयोग(4701-05-26)** | **22.00** |
| | **योग (4701)** | **488.50** |
| | **कुलयोग (4700+4701)** | **1169.04** |

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध**

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी0 एण्ड0 पी0 मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

**लेखाशीर्ष:** 4700800520703 (नवीन सम्पूर्ति )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 4700800520703<br>नवीन सम्पूर्ति | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 1,91,00,000<br>( रुपये एक करोड़ इक्यानबे लाख मात्र ) |
| 2 | 094 | 4700800520703<br>नवीन सम्पूर्ति | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 1,58,00,000<br>( रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख मात्र ) |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | | | **3,49,00,000**<br>**( रुपये तीन करोड़ उनचास लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 4700800520704 (मरम्मत )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 4700800520704<br>मरम्मत | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 73,54,000<br>( रुपये तिहत्तर लाख चौवन हजार मात्र ) |
| 2 | 094 | 4700800520704<br>मरम्मत | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 1,13,00,000<br>( रुपये एक करोड़ तेरह लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **1,86,54,000**<br>**( रुपये एक करोड़ छियासी लाख चौवन हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 4700800520705 (गाड़ी भाड़ा )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 4700800520705<br>गाड़ी भाड़ा | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 72,00,000<br>( रुपये बहत्तर लाख मात्र ) |
| 2 | 094 | 4700800520705<br>गाड़ी भाड़ा | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 73,00,000<br>( रुपये तिहत्तर लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **1,45,00,000**<br>**( रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 4701800520300<br>नवीन सम्पूर्ति | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 3,21,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ इक्कीस लाख मात्र ) |
| 2 | 094 | 4701800520300<br>नवीन सम्पूर्ति | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 8,00,000<br>( रुपये आठ लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **3,29,00,000**<br>**( रुपये तीन करोड़ उनतीस लाख मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 4701800520400 (मरम्मत )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 4701800520400<br>मरम्मत | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 42,50,000<br>( रुपये बयालीस लाख पचास हजार मात्र ) |
| 2 | 094 | 4701800520400<br>मरम्मत | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 60,00,000<br>( रुपये साठ लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **कुल** | | | **1,02,50,000**<br>**( रुपये एक करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र )** |

**लेखाशीर्ष:** 4701800520500 (गाडी भाडा )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | प्रस्तावित धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| *1* | 094 | 4701800520500<br>गाडी भाडा | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 35,00,000<br>( रुपये पैंतीस लाख मात्र ) |
| *2* | 094 | 4701800520500<br>गाडी भाडा | 26<br>मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र | 22,00,000<br>( रुपये बाईस लाख मात्र ) |
| | **कुल** | | | **57,00,000**<br>**( रुपये सत्तावन लाख मात्र )** |

| | |
|---|---|
| **महायोग** | 11,69,04,000<br>( रुपये ग्यारह करोड़ उनहत्तर लाख चार हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय**
**अमित प्रणव**
**संयुक्त सचिव।**

**<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (पूर्वीगंगा/गंगा/मध्यगंगा/गण्डक/नलकूप दक्षिण/बेतवा/परिकल्प/सरयू-1/बाणसागर/नलकूप-पूर्व/),सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मुरादाबाद/मेरठ/अलीगढ़/गोरखपुर/कानपुर/झांसी/लखनऊ/अयोध्या/ प्रयागराज।

6. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन-बेतवा लिंक नहर (निर्माण), झांसी।

7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

10- नियोजन अनुभाग-3

11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

12- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**
**वी0 एन0 तिवारी**
**उप सचिव ।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in